कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में उप पंजीयक कार्यालय का दलाल डीड राईटर (प्राईवेट व्यक्ति) 3 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट–प्रथम, जयपुर इकाई द्वारा आज दौसा में कार्यवाही करते हुये विनोद कुमार गुप्ता उर्फ पिन्टु डीड राईटर, कार्यालय उप पंजीयक, दौसा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 3 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–प्रथम, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके रीको दौसा में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री लौटाने की एवज में विनोद कुमार गुप्ता उर्फ पिन्टु डीड राईटर, कार्यालय उप पंजीयक, दौसा (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा तहसीलदार/उप पंजीयक व अन्य स्टॉफ के लिये 8 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की स्पेशल यूनिट–प्रथम, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह नैन** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह एवं** उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये विनोद कुमार गुप्ता उर्फ पिन्टु पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता निवासी चौधरी कॉलोनी, दौसा हाल डीड राईटर, कार्यालय उप पंजीयक, दौसा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **3 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।